न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

1. जोराराम पुत्र मंगलाराम
2. भंवरलाल पुत्र जोराराम
3. सहीराम पुत्र जोराराम

सभी जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ठाकराराम पुत्र मंगलाराम
2. श्रीमती भूगल पत्नी ठाकराराम
3. पानाराम पुत्र रामकिशन
4. मोहनराम पुत्र रामकिशन
5. जोराराम पुत्र रामकिशन
6. सुगनाराम पुत्र रामकिशन

सभी जाति विश्नोई निवासी सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मुकदमा नम्बर :– 123/2018

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थीगण की ओर से श्री ओमप्रकाश गौदारा
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी

दिनांक:– 26/6/2019

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त मे सार निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध अप्रार्थीगण अदालत हाजा में एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एव धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित है और उक्त वाद मे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 3 से 6 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 579 रकबा 284.08 बीघा एवं मूल खसरा नम्बर 595 जिसका मूल रकबा 161.06 बीघा वक्त बंदोबस्त मंगलाराम पि. प्रतापाराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई और मंगलाराम पुत्र प्रतापाराम ने अपने तीनो पुत्रों प्रार्थी संख्या 1, अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 6 को अलग अलग खसरान् मे से अलग अलग रकबा दे दिया और पक्षकारों की सहमति से जमाबंदी मे अलग अलग खाते दर्ज कर दिये। वर्तमान मे प्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर 579 रकबा 112.08 बीघा और खसरा नम्बर 595 रकबा 44 बीघा और अप्रार्थीगणो के नाम खसरा नम्बर 579/1 रकबा 112 बीघा एंव खसरानम्बर 595/1 रकबा 51.11 बीघा दर्ज है। उक्त

सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

होने पर उक्त दावा पुनः बिड्रा कर लिया जिसकी अपील आर.ए.ए. जोधपुर मे प्रार्थी संख्या 1 द्वारा की गई जो खारिज की गई। मौक पर वर्तमान तरमीम के अनुसार ही काबिज चले आ रहे है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसको रोकने के लिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया, मामला, सुविधा का तुलनात्मक संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में बनने पाये जाते है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है अतः सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया जाता है। अतः न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का सारहीन पाया जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 26/6/19 को सुनाया गया।

न्यायालय सहायक जिलाधिकारी जिला जोधपुर (राज.)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
बाप जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner